**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 671**

**उत्तर देने की तारीखः 27.07.2015**

**मदरसों में बच्चे**

**671. श्री अविनाश पांडेः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

**(**क) क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान के उद्देश्य से किए जाने वाले सर्वेक्षण के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि मदरसा जाने वाले बच्चों को किसी औपचारिक शिक्षा में दाखिल नहीं माना जाएगा;

(ख) क्या सरकार मदरसों में जाने वाले बच्चों का इस तरह से वर्गीकरण का अनुमोदन करती है;

(ग) क्या अल्पसंख्यकों को अपने खुद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के संवैधानिक अधिकार के मद्देनजर इसकी अनुमति है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को सर्वेक्षण के माध्यम से इस तरह के अवैध वर्गीकरण को कार्यान्वित करने से रोकने के लिए कोई कदम उठाया है?

**उत्तर**

मानव संसाधन विकास मंत्री

**(**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

**(क) से (घ): महाराष्‍ट्र सरकार ने सूचित किया है कि राज्‍य में स्‍कूल न जाने वाले बच्‍चों के संबंध में 4 जुलाई, 2015 को एक सर्वेक्षण कराया गया था। राज्‍य सरकार ने आगे यह भी सूचित किया है कि नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अनुसार, 6-14 वर्ष की आयु के प्रत्‍येक बच्‍चे को स्‍कूल में दाखिल करवाया जाना चाहिए और स्‍कूल को सरकार द्वारा घोषित शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार ही छात्रों को शिक्षा देनी चाहिए। राज्‍य सरकार ने यह भी कहा है कि कोई भी ऐसा स्‍कूल, जो राज्‍य के शैक्षिक प्राधिकरण (अर्थात् महाराष्‍ट्र राज्‍य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, पुणे) द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा नहीं दे रहा है, उसकी शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा माना जाएगा, अत: उन स्‍कूलों में दाखिल बच्‍चों को स्‍कूल न जाने वाले बच्‍चे माना जाएगा।**

**आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 2(ढ) में किसी ‘स्‍कूल’ को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने वाले मान्‍यता प्राप्‍त स्‍कूल के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इसमें निम्‍नलिखित शामिल हैं:-**

**(i) समुचित सरकार अथवा स्‍थानीय प्राधिकरण द्वारा स्‍थापित, स्‍वामित्‍व अथवा नियंत्रित स्‍कूल;**

**(ii) सहायता प्राप्‍त स्‍कूल जो अपने सम्‍पूर्ण व्‍यय अथवा उसके भाग को पूरा करने के लिए समुचित सरकार अथवा स्‍थानीय प्राधिकरण से सहायता अथवा अनुदान ले रहा हो;**

**(iii) विशिष्‍ट श्रेणी से संबंधित कोई स्‍कूल; और**

**(iv) कोई गैर-सहायता प्राप्‍त स्‍कूल जो अपने व्‍यय को पूरा करने के लिए समुचित सरकार अथवा स्‍थानीय प्राधिकरण से किसी प्रकार की सहायता अथवा अनुदान न ले रहा हो।**

\*\*\*\*\*